

14/5
25

पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी हाजिर
वकील प्रार्थी को पूर्व में भी अंतिम
हिदायत दी गयी थी कि आगामी
पेशी पर तामिल की रसीदें पेश
करे अन्यथा आदेश 3 नियम
5 के तहत आदेश पारित
किया जाएगा। लेकिन भाग
दिनांक तक तामिल की रसीदें पेश
नहीं। अतः प्रार्थी का आवेदन
212 R/A आदेश 3 नियम 5 के
तहत खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल नुमार सहीकर नम्बर
से कम होकर दाखिल दफतर हो

अधिवक्ता
मुंबई (सीकर)